



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 298 राँची, सोमवार,

4 जुलाई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

1 जुलाई, 2022 /आषाढ़ 10, 1944 (शक)

सं. 480/2/2022(I)--राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के लिए एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

[फा.सं.480/2/2022(I)]

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल,
सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

1st July, 2022 /Ashadha 10, 1944 (Saka)

No. 480/2/2022(I)--In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General, Lok Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2022.

[F.No. 480/2/2022(I)]

By Order,

ASHWANI KUMAR MOHAL,
SECRETARY
